कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / 14615/310 दिनांक– 29/11/16

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, वीरपुर
जिला– सुपौल

महाशय,

नगर पंचायत, वीरपुर के वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन स0 286 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14615/310 दिनांक– 29/11/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सुपौल

29/11/16

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

पत्र पंजी
05 DEC 2016
13458
संख्या

(84)
(45)

प्रारूप निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 286/16–17

भाग – I

प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :– नगर पंचायत, वीरपुर
2. लेखा की अवधि :– 2013–2014 से 2015–16 तक
3. लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र :– अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किए गए पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :– 05.05.16 से 11.05.16 तक
5. प्रशासन :–

1) मुख्य पार्षद का नाम — **अवधि**

श्री गोपाल आचार्य — 01.04.13 से 31.03.16 तक

2) उपमुख्य पार्षद का नाम — **अवधि**

श्रीमति रामशील देवी — 01.04.13 से 31.03.16 तक

3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी

कम संख्या	कार्यपालक पदाधिकारी का नाम	अवधि	
		कब से	कब तक
1	रवि कुमार	26.04.10	08.07.13
2	चन्दन कुमार	08.07.13	30.07.13
3	रवीन्द्र कुमार	30.07.13	01.11.13
4	सुशील कुमार	01.11.13	05.04.15
5	राज कुमार चौधरी	06.04.15	11.05.15
6	सुशील कुमार	01.06.15	29.08.15
7	इफ्तेखार अहमद	29.08.15	06.09.15
8	अमोल मिश्रा	06.09.15	वर्तमान तक

6 लेखापरीक्षा दल के सदस्य

1. **श्री तनवीर हसन, व0 ले0 प0 अधिकारी**
2. **श्री सुबोध प्रसाद, स0 ले0 प0 अधिकारी**
3. **श्री आलोक कुमार, स0 ले0 प0 अधिकारी**
4. **श्री मनीष कुमार, ले0 परीक्षक**

7 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालनः– अप्रस्तुत

8. कार्यपालक से वार्तालाप की गई :– हॉ

9. **लेखापरीक्षा का परिणामः**–

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि :– शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशि :– 2542948.00 रू

आपत्ति के अधीन रखी गई राशिः– 3216102.00 रू

(विरतृत विवरणी परिशिष्ट–III पर)

H-183

10. अनुदान

नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप लेखापरीक्षा अवधि के प्रारंभ में अव्यवहृत अनुदानों की राशि, अनुदान की प्राप्ति, उपयोग तथा लेखापरीक्षा अवधि के अंत में अव्यवहृत अनुदान की राशि की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। यद्यपि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार विभिन्न मदों के अंतर्गत 61431324.00 रू प्राप्त हुआ था।

(विवरणी परिशिष्ट– IV पर संलग्न)

अतः अनुदान पंजी का संधारण कराया जाय एवं अव्यवहृत अनुदान का यथाशीघ्र उपयोग किया जाय।

11. वितीय अधिदृश्यः–
लेखापाल रोकड़बही का आय– व्यय

लेखापाल रोकड़ बही में प्राप्ति व व्यय पक्ष में दर्ज प्रविष्टियों को गणना करने के उपरांत वित्तीय वर्षों 2013–14 से 2015–16 की अवधि में नगर पंचायत का आय व व्यय निम्न थाः–

क्र0	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16
1.	आरंभिक शेष	62437608.81	56727120.81	38449161.01
2.	वर्ष की प्राप्ति	30891027	19153570	33207468
3.	कुल प्राप्ति	93328635.81	75880690.81	71656629.01
4.	कुल व्यय	36601515	37431529.8	44549013
5.	अन्तशेष	56727120.81	38449161.01	27107616.01

12. स्वीकृत बल व कार्यरत बलः–

नगर पंचायत में स्वीकृत बल की संख्या 17 थी, जिसके विरूद्ध कार्यरत बल की संख्या 10 थी तथा रिक्त बल की संख्या 07 थी। 07 रिक्त बलों में 01 सहायक कर दरोगा, 02 लिपिक 01 अमीन तथा 03 सफाई कर्मी का पद रिक्त था।

कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सरकार से अनुरोध है कि रिक्त बल की बहाली की जाय, जिससे कि कार्यालय सुचारू रूप से चल सके।

भाग– II(क)– शून्य

भाग– II(ख)

कण्डिका:–1 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण में अनियमित व्यय राशि ₹ 17.75 लाख

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012–13 मे नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक –02/स्वर्ण–06/08–1113 दिनांक 14.11.12 द्वारा नगर पंचायत वीरपुर को 30 लाख रू की राशि प्राप्त हुई थी। योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार राशि का व्यय निम्न घटकों में करना था:–

क्रम सं0	मद का नाम	प्रतिशत	राशि
01	शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (STEPUP)	40	1200000.00
02.	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP)	20	600000.00
03.	शहरी महिलाओ एवं सहायता कार्यक्रम (UWSP)	20	600000.00
04.	शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN)	10	300000.00
05	(UWEP)	10	300000.00
		कुल	3000000.00

नगर पंचायत द्वारा शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (STEPUP) घटक में बी0पी0एल0 के युवक/युवतियों को प्रशिक्षण के लिए राशि ₹ 1745663.00 का व्यय किया गया, जो संस्था को भुगतान किया गया था तथा अन्य चार घटकों में योजना कियान्वित नहीं की गई।

नगर विकास एवं अवास विभाग, बिहार सरकार, पटना (पत्रांक– 927 दिनांक– 06.09.12) द्वारा नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया था कि STEPUP के तहत प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व तथा संस्थाओं के एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने के पूर्व निम्नलिखित बिंदुओ पर संस्थाओ की जॉच कर ले क्योंकि समयाभाव के कारण संस्थाओ के संबंध में कोई जॉच नहीं किया गया है:–

1. संस्था को प्रशिक्षण देने का अनुभव हो।
2. प्रशिक्षक को संबंधित व्यवसाय का 3 वर्ष का अनुभव।
3. संस्था को पर्याप्त क्लासरूम, प्रयोगशाला या अन्य आधारभूत सुविधा की उपलब्धता।
4. संस्थाओं को प्रशिक्षण के उपरांत लाभार्थियों को एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
5. प्रशिक्षण स्थल पर कम से कम 1500 वर्ग फीट का स्थान, प्रतिदिन प्रशिक्षण की अवधि 4 घंटा, कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कम से कम 10 सेट कम्प्यूटर।
6. संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता।
7. जो प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार के लिए इच्छुक है, उनके आवेदन को संस्था द्वारा बैंक में निकाय के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही विभाग द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि प्रशिक्षण समाप्त होने पर पूर्णत: जॉच कर एवं पूर्णत: संतुष्ट होकर अनुमोदित दर के आधार पर ही नगरपालिका द्वारा संबंधित संस्था को राशि का भुगतान किया जाय।

कार्यालय को कुल 203 आवेदन प्रशिक्षण हेतु प्राप्त हुआ जिसमें से 203 लाभुकों को कम्प्यूटर, टेलरिंग व ब्यूटिशियन के लिए प्रशिक्षण दिलाने हेतु ग्रामीण बाल एवं मानव विकास समिति, अररिया के साथ एकरारनामा किया गया एवं प्रशिक्षण दिलाया गया।

संस्था को भुगतान का विवरणः–

रोकड़ बही की तिथि	राशि
23.03.13	500000
18.04.13	300000
18.04.13	300000
16.08.14	252173
20.08.14	393490
कुल	1745663

प्रशिक्षण में भुगतानः–

ट्रेड	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	दर	मद	भुगतेय राशि	कटौतियाँ		भुगतान की गई राशि
					अग्रिम	कटौती 10 प्रतिशत	
कंम्प्यूटर	135	6800	प्रशिक्षण	918000	800000	132610	
टेलरिंग	33	6700	प्रशिक्षण	221100			
ब्यूटिशियन	34	5500	प्रशिक्षण	187000			
	कुल			1326100	800000	132610	393490

टुल व किटस में भुगतान का विवरणः–

प्रस्तुत विपत्र	भुगतेय	कटौतियाँ		भुगतान की गई राशि
		अग्रिम	वैट	
608718	581235	300000	29062	252173

प्रशिक्षण पर कुल व्ययः–1100000+ 393490+ 252173+ 29062

=1774725

लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ:–

1. विभाग के दिशानिर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत ही तथा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही संस्था को प्रशिक्षण की राशि का भुगतान किया जाना था, परंतु कार्यालय द्वारा अनियमित रूप से संस्था को राशि ₹ 11.00 लाख का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया।
2. प्राप्त अनुदान की राशि ₹ 30.00 लाख में से कौशल प्रशिक्षण पर ₹ 12.00 लाख व्यय करना था, परंतु कार्यालय द्वारा अनियमित रूप से इससे अधिक राशि कुल ₹ 17.75 लाख का व्यय किया गया अर्थात राशि ₹ 5.75 लाख का अधिक व्यय किया गया, जो अन्य चार घटकों में कर्णांकित राशि से किया गया तथा इन चार घटकों शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (USEP), शहरी महिलाओं एवं सहायता

कार्यक्रम (UWSP), शहरी समुदाय विकास नेटवर्क (UCDN) ,एवं शहरी महिला रोजगार कार्यक्रम (UWEP) कियान्वित नहीं की गई एवं राशि का व्यय नहीं किया गया।

3. विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार संस्था से प्रशिक्षण कराने का एकरारनामा करने से पूर्व इन संस्थाओं की जॉच 11 बिंदुओं पर कराना था, जिसे कराये जाने का साक्ष्य नहीं पाया गया और न हीं कोई प्रतिवेदन पाया गया तथा न हीं संचिका टिप्पणी में कोई आदेश या उल्लेख था।
4. सरकार के दिशा निर्देशानुसार सक्षम युवक/युवतियों के आवेदन को कार्यालय द्वारा व्यवसायवार पंजी संधारित करना था, परंतु इस संबंध में किसी प्रकार के पंजी का संधारण नहीं पाया गया,
5. स्वरोजगार के लिए इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन को संस्थाओं द्वारा बैंक में निकाय के माध्यम से भेजा जाना था, परंतु इस संबंध में कोई प्रतिवेदन नहीं पाया गया।
6. प्रशिक्षणार्थियों को टूल– किट्स उपलब्ध कराये जाने का कोई साक्ष्य नहीं था।
7. संबंधित ट्रेडों में 6 माह का प्रशिक्षण दिलाया जाना था, परंतु 6 माह का प्रशिक्षण दिया गया या नहीं से संबंधित कोई प्रतिवेदन नहीं पाया गया तथा न ही साक्ष्य पाया गया।
8. इस योजना के लिए निकाय स्तर पर नगर प्रबंधक को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया था। जहॉ नगर प्रबंधक पदस्थापित नहीं है, वहॉ निकाय के नगर कार्यपालक पदाधिकारी को ही यह कार्य करना था एवं नोडल पदाधिकारी इस योजना के सम्पूर्ण कार्य के लिए जिम्मेवार थे तथा इनके द्वारा प्रत्येक स्तर पर कार्य की समीक्षा की जानी थी। परंतु इस संबंध में किसी प्रकार का कोई जॉच/कार्य नहीं पाया गया।
9. प्रशिक्षणार्थियों के बी0पी0एल0 संख्या की जांच कराने का साक्ष्य/प्रतिवेदन नहीं पाया गया।
10. विभाग के निदेशानुसार संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को placement सुनिश्चित कराना था, प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के उपरांत placement कराया गया या नहीं से संबंधित कोई प्रतिवेदन/साक्ष्य नहीं पाया गया।
11. प्रशिक्षण हेतु प्राप्त प्राप्त आवेदनों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं आवेदक के बी0 पी0 एल0 में होने की जॉच कार्यालय द्वारा कराये जाने का कोई टिप्पणी या प्रतिवेदन नहीं पाया गया।

कार्यालय का जवाबः–उपर्युक्त आपत्तियों के संदर्भ में आवश्यक जॉच कराकर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जायेगा।

उपर्युक्त अनियमितताओं के कारण प्रशिक्षण कार्यकम संदिग्ध था एवं प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, रोजगार की मुहैया कराये जाने की सूचना की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रशिक्षण के निष्फल होने के संभावना है। अतः इसकी जॉच करायी जाय तब तक प्रशिक्षण पर व्यय राशि 1774725.00 रू को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कण्डिका:–2 सामाग्रियों के क्रय में अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताएँ ₹ 326929

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित सामाग्रियों का क्रय किया गया था:–

1.	सी0एफ0एल0 बल्ब	:–	390 अद्द
2.	कन्टेनर (Iron Body)	:–	20 अद्द
3.	हैन्ड ट्रॉली	:–	20 अद्द
4.	लैपटॉप	:–	11 अद्द

1446/79

उपर्युक्त सामाग्रियों के क्रय में निम्नलिखित अनियमतताएँ पायी गयीः—

1. उपरोक्त सामाग्रियों कोटेशन आमंत्रण सूचना में अधिप्राप्ति की मात्रा नहीं दर्शा कर बिहार वित्तीय नियमावली का उल्लंघन किया गया।
2. उपरोक्त के क्रमांक 4 को छोड़कर अन्य सामग्रियॉ किस कम्पनी की थी इसका वर्णन संचिका में नहीं पाया गया।
3. उपरोक्त के क्रमांक 3 को छोड़कर अन्य किसी भी सामग्री का इन्द्राज स्टॉक पंजी में नहीं पाया गया।
4. क्रमं संख्या–1 के आपूर्तिकर्त्ता को 6 लाख का अग्रिम देकर बिहार वित्तीय नियमावली का उल्लघंन किया गया।
5. उपरोक्त किसी भी सामग्री का गारंटी/वारंटी कार्ड संचिका में नहीं पाया गया।
6. उपरोक्त सामाग्रियों के भुगतान में वैट मद में रू0–2,876,67/–, आयकर मद में रू0–23,262/– की कम कटौती की गयी ।
7. क्रम संख्या–3 पर वर्णित सामग्री में कोटेशन की दर पर अलग से 5 प्रतिशत वैट की राशि जोड़कर भुगतान किया गया जो कि बिहार वित्तीय नियमावली का उल्लघंन था जिसके कारण रू0– 16,000/– का अधिक भुगतान किया गया।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– V पर संलग्न)

कार्यालय का जवाबः– नियमों का पालन किया जायेगा एवं आवश्यक त्रटियों को सूधार कर लिया जायेगा तथा करों की कम कटौती की गई राशियों की वसूली/समायोजन कर ली जायेगी।

अतः वैट व आयकर में कम कटौती की गई राशि 287667.00 रू एवं 23262.00 रू एवं वैट के रूप में अधिक भुगतान की गई राशि 16000.00 रू, अर्थात कुल 326929.00 रू की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से कर संबंधित शीर्ष में जमा कराया जाय।

कण्डिकाः–3 वसूली गई राशि जमा नहीं, ₹ 1.13 लाख

नगर पंचायत वीरपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये मनी रसीद का जॉच में पाया गया कि रसीद के माध्यम से होल्डिंग, दुकान किराया, सैरात, बस स्टैंड आदि से वसुली गई राशि रू0– 1,13,019.00 वसूलीकर्त्ता ने नजारत/बैंक में जमा नहीं किया था, विस्तृत विवरण परिशिष्ट– पर संलग्न है।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– VI पर संलग्न)

कार्यालय का जवाबः–संबंधित व्यक्तियों से राशि की वसूली कर नगर कोष में जमा कर दिया जायेगा।

अतः राशि 113019.00 रू की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से कर लेखां परीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

कण्डिका:–4 निजी भवनों पर गृह कर बकाया, राशि ₹ 28.82 लाख

नगर पंचायत द्वारा मांग व वसूली पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है। लेखा परीक्षा में कार्यालय द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित होल्डिंग्स पर दिनांक 31.03.16 को कुल 28.82 लाख रू बकाया था। विवरण निम्न है –

वर्ष	होल्डिंग की संख्या	मंग			वसूली				बकाया		
		बकाया	वर्तमान	कुल	बकाया	वर्तमान	कुल	वसूली का प्रतिशत	बकाया	वर्तमान	कुल
2013–14		2781999	698578	3480577	516333	147737	664070	19.08	2265666	550841	2816507
2014–15		2816507	841961	3658468	681959	215766	897725	24.54	2134548	626195	2760743
2015–16		2760743	889317	3650060	595923	171580	767503	21.03	2164820	717737	2882557

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ:–

वित्तीय वर्षों 2012–13, 2013–14 एवं 2015–16 में मांग के विरूद्ध वसूली का प्रतिशत क्रमशः 19, 24 व 21 प्रतिशत था, जो नगर पंचायत के अधिकारी/कर्मी व वसूली कर्मी की उदासीनता को दर्शाता है।

कार्यालय का जवाब:– वसूली का प्रतिशत बढ़ाया जायेगा।

अतः वसूल का प्रतिशत बढ़ाया जाय।

कण्डिका:–5 सरकारी भवनों पर बकाया होल्डिंग कर, राशि 1.21 करोड़ रू

सरकारी भवनों पर होल्डिंग कर मद में कुल 1.21 करोड़ रू बकाया था, विवरण निम्न है:–

क्रम संख्या	सरकारी भवन का नाम	बकाया राशि
1	कोशी शिविर	8134182
2	पावर ग्रिड स्टेशन का होल्डिंग कर	2760360
3	कोशी विधुत जल शक्ति गृह	1073631
4	महाविद्यालय एवं कार्यालय	181950
		12150123

कार्यालय का जवाब:–सरकारी भवनों पर बकाया राशि की वसूली के लिए जिला पदाधिकारी एवं प्रधान सचिव न0 वि0 एवं आ0 वि0 को स्मार पत्र दिया गया है।

अतः इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाय, जिससे नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

कण्डिका:– 6 शिक्षा उपकर व स्वास्थ्य उपकर की राशियों का प्रेषण नहीं, राशि 5.07 लाख रू

बिहार प्राथमिक शिक्षा उपकर अधिनियम 1959 एवं बिहार स्वास्थ्य उपकर निगम अधिनियम 1972 के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर मदों में वसूल की गई राशि का 10 प्रतिशत वसूल शुल्क काटकर सरकारी कोष

में संबंधित आय शीर्ष में प्रेषण/जमा कर देना है क्योंकि ये उपकर सरकारी राजस्व है तथा नगर निगम मात्र इसका वसूलकर्ता के रूप में कार्य करता है। लेखा परीक्षा में उपलबध कराये गये विवरणी के अनुसार वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि में शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर मद में वसूल की गई कुल राशि 506624.00 रू. थी। परंतु कार्यालय द्वारा 10 प्रतिशत का वसूली शुल्क काटकर शेष राशि 455961.60 रू सरकार को प्रेषित नहीं किया गया। विवरण निम्न हैः–

मद	2013-14	2014-15	2015-16
स्वास्थ शेष	72218	97628	83466
शिक्षा शेष	72218	97628	83466
कुल	1,44,436.00	1,95,256.00	1,66,932

कार्यालय का जवाबः– सरकार को उपकर की राशि प्रेषित कर दी जायेगी।

अतः राशि सरकार को प्रेषित किया जाय।

कण्डिकाः– .7 सैरातों की बन्दोबस्ती मुद्रांक पर नहीं करने के कारण राजस्व की हानि, राशि ₹ 1.09 लाख

राज्य सरकार के पत्र संख्या 1920/आर ई आई मुख्य सचिव दिनांक 14.8.2002 तथा सचिव सह आई0 जी0 निबंधन बिहार के पत्र संख्या 549 दिनांक 13.3.2005 के अनुसार सैरातों की बन्दोबस्ती में बन्दोबस्ती राशि पर 3 प्रतिशत के बराबर मुद्रांक पर बन्दोबस्तीधारी के साथ एकरारनामा किये जाने का प्रावधान है।

परंतु नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि में सैरातों की बन्दोबस्ती मुद्रांक शुल्क पर नहीं की गई, जिसके कारण राज्य सरकार को 108915.00 रू के राजस्व की हानि हुई। विवरण निम्न हैः–

कम संख्या	सैरात का नाम	बन्दोबस्ती की राशि			कुल	मुद्रांक शुल्क की राशि @ 3 प्रतिशत
		2013–14	2014–15	2015–16		
1	बस पड़ाव	1203500	608600	815100	2627200	
2	हाट	552000	0	348000	900000	
3	गुदड़ी	0	40300	63000	103300	
कुल					3630500	108915.00 रू

वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में बस पड़ाव के बन्दोबस्ती की राशियों 1203500.00 रू एवं 608600.00 रू पर देय मुद्रांक शुल्क की राशि 36105.00 रू एवं 18258.00 रू थी, परंतु सिर्फ 100–100 रू का स्टाम्प लिया गया तथा एकरारनामा का कोई शर्त नहीं लिया गया।

कार्यालय का जवाबः— आगे से की जाने वाली बन्दोबस्ती पर स्टाम्प शुल्क पर एकरारनामा किया जायेगा। अतः स्टाम्प शुल्क के रूप में हुई हानि 108915.00 रू की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से कर राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कराया जाय।

कण्डिकाः— 8 संचार टावरों का निबंधन नहीं एवं निबंधन व नवीनीकरण शुल्कों की वसूली नहीं किये जाने के कारण राजस्व की प्राप्ति नहीं, राशि ₹ 3.65 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार मोबाईल टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क 30000.00 प्रति टावर एव नवीकरण शुल्क 8000.00 प्रति टावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 5 के अनुसार कोई भी ऑपरेटर जिन्होने पूर्व में टावर का अधिष्ठापण किया हो या करना चाहता हो, रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ नगरपालिका को आवेदन देगा।

नियम 6(2) के अनुसार नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों के लिए उपर वर्णित पंजीकरण शुल्क टावर के स्थापित करने के समय के पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है।

नियम 6(6) पंजीकरण शुल्क आवेदन की स्वीकृति के तुरन्त बाद देय हो जायेगा। अगर पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 6(7) वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप में देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नियम 12(1) के अनुसार कोई संचालक इस नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह राशि 5000.00 तक के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

लेखा परीक्षा आपत्तियॉः—

1. नई अधिसूचना के प्रभावी होने पर भी संबंधित ऑपरेटरों द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया तथा न ही कार्यालय द्वारा इस संबंध में जिसके जमीन/मकान पर मोबाईल टावर अधिष्ठापित था को नोटिस दिया गया।
2. नगर पंचायत के मोबाईल टावर के संचिका व कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत 03 मोबाईल टावर अधिष्ठापित था तथा इन कम्पनियों द्वारा इनके

अधिष्ठापण के वर्ष से ही कोई शुल्क नगर पंचायत कार्यालय को नहीं दिया गया एवं कुल मांग राशि 3.65 लाख रू बकाया के रूप में था।

3. बकाया की वसूली हेतु कोई कानूनी कार्रवाई सहित कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

कार्यालय का जवाबः— पूर्व में उच्च न्यायालय के निदेशानुसार नोटिस दिया गया है। पुंनः आवश्यक कार्रवाई किया जायेगा।

अतः बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय एवं विलंब की अवधि के सूद की गणना कर नया मांग प्रेषित किया जाय।

कण्डिकाः— 9 दैनिक मजदूरी पर अनियमित भुगतान, राशि 10.95 लाख रू

रोकड़पाल रोकड़बही के जाँच में पाया गया कि वर्ष 2012—13 से 2015—16 के बीच नगर पंचायत वीरपुर द्वारा दैनिक मजदुरी पर रू0—10,94,852 व्यय की गयी थी जबकि बिहार सरकार के दिशा निर्देशानुसार दैनिक मजदुरी पर कर्मी को नहीं रखा जाना है। किया गया व्यय अनियमित है।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट— VII पर संलग्न)

कार्यालय का जवाबः—

सफाई कर्मी की कमी होने के कारण एवं कार्य की महत्ता को देखते हुए कर्मियों को दैनिक मजदूरी पर रखा गया। वर्ष 2014—15 में सफाई कार्य संवेदक को दिया गया था जिसके कार्य संतोषप्रद नहीं होने के कारण हटा दिया गया है। आगे पुनः सफाई कार्य हेतु निविदा कराया जायेगा।

अतः सफाई कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाय एवं दैनिक मजदूरी पर कार्य नहीं कराया जाय। भुगतान की गई राशि 1094852.00 रू को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कण्डिकाः— 10 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की राशि का विचलन राशि ₹ 11.89 लाख

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की रोकड़ बही व संचिका के अवलोकन में पाया गया कि दिनांकः— 14.11.12 को प्रारंभिक शेषः— 214661.00 रू था तथा दिनांक 14.11.12 को 3000000.00 रू का आवंटन कौशल प्रशिक्षण व स्वरोजगार कार्यक्रम हेतु प्राप्त हुआ था, जिसमें से प्रषिक्षण हेतु कुल 1745663.00 रू व्यय किया गया। अतः राशि 1468998.00 रू बचना चाहिए था, परंतु पास बुक में राशि 279487.00 रू (एस बी आई के खाता संख्या—11712632872 में दिनांक—28.12.15 को 258429.80 रू एवं सेंट्रल बैंक के खाता संख्या—2120945328 में दिनांक' 06.08.15 21058.30 रू) ही उपलब्ध था। विवरण निम्न हैः—

रोकड़ बही की तिथि	राशि
23.03.13	500000
18.04.13	300000
18.04.13	300000
16.08.14	252173
20.08.14	393490
कुल	1745663

इस प्रकार इस योजना के राषि 1189511.00 रू (1468998– 279487) का विचलन कर तेरहवीं व अन्य मदों के योजनाओं में व्यय किया गया। रोकड़ बही में तेरहवीं व अन्य योजना मदों के आवंटन व योजनाओं में व्यय की प्रविष्टियॉ की गई थी। उल्लेखनीय है कि इस अवधि में ब्याज की भी प्राप्ति हुई थी।

कार्यालय का जवाबः– राशि का समायोजन कर अवशेष राशि विभाग को वापस कर दिया जायेगा। अतः जवाब के आलोक में कार्रवाई.कर लेखा परीक्षा को सूचित किया जाय।

कण्डिकाः– 11 नगर पंचायत के कार्यालय भवन के निर्माण में अनियमितताएँ

राज्य सरकार द्वारा नगर विकास विभाग को पत्रांक–1398, दिनांक– 30.03.2007 के माध्यम से नगर पंचायत वीरपुर को प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु रू0– 38,50,500 के मानक प्राक्कलन के आधार पर 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में रू0– 28,87,875 के अनुदान की स्वीकृति दी गयी। उक्त राशि तथा पंचायत को नगर विकास विभाग के पत्रांक–160, दिनांक–17.04.2007 के अनुसार बैंक ड्राफ्ट नं0– 090741 दिनांक– 11.04.07 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी। भुमि उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य दिसम्बर 2007 में प्रारम्भ हो सका। उक्त योजना के विभागीय क्रियान्वयन हेतु श्री अरूण कुमार राय, कर संग्राहक को अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया। योजना के अंतर्गत श्री राय को कुल रू0– 25,15,000.00 का अग्रिम निम्न प्रकार से दिया गयाः–

	दिनांक	राशि
1.	30/08/07	15,000.00
2.	24/12/07	2,00,000.00
3.	04/01/08	3,00,000.00
4.	31/01/08	4,50,000.00
5.	29/03/08	3,00,000.00
6.	29/04/08	5,00,000.00
7.	02/08/08	5,00,000.00
8.	31/10/09	2,50,000.00
		25,15,000.00

21,08,2006/=

संचिका में की गयी टिप्पणी के अनुसार श्री राय द्वारा 21.08.2006/– का मापीपुस्त प्रस्तुत किया गया था परन्तु उसके विरूद्ध एक भी अभिश्रव अथवा मस्टर रौल समर्पित नही किया गया था।

संचिका में दी गयी टिप्पणी के अनुसार श्री राय द्वारा दिनांक 14.09.08 को वीरपुर थाना प्रभारी को सूचना दी गयी थी कि दिनांक 18/08/2008 को आये बाढ में भवन निर्माण हेतु रखी गयी रु 566600 की सामग्री या तो बह गयी या चुरा ली गयी।

दिनांक 16/06/2012 को संचिका मे की गयी टिप्पणी के अनुसार श्री राय द्वारा कराये गये कार्य की अंतिम मापी कराकर शेष कार्य टेण्डर के माध्यम से कराने का निर्णय किया गया।

इसी बीच नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पंचायत के अनुरोध पर सामग्री का मुल्य बढ जाने के कारण पत्रांक 3189 दिनांक 19.06.08 द्वारा रु 50 लाख के पुनरीक्षित प्राक्कलन की सहमति दी गयी।

प्रशासनिक भवन के शेष कार्य हेतु दिनांक 18/12/2012 को निविदा आमंत्रित की गयी थी। जिसके अनुसार प्राक्कलन राशि 4394149 थी एवं बी0 ओ0 क्यू0 के अनुसार प्राक्कलित राशि रु 4396380 थी। बी0ओ0क्यू0 दर पर निविदा देकर कार्य पूर्ण कराया गया।

यद्यपि बी0 ओ0 क्यू0 के अनुसार प्राक्कलन रु 4396380 का ही था लेकिन भुगतान मापीपुस्त में वर्णित रु 4534799 का किया गया जो कि रु 138419 अधिक था।

आगे यह भी देखा गया कि बी0 ओ0 क्यू0 मे दरवाजों एवं खिडकियों के चौखट एवं दरवाजा के लिये रु327807 का प्रावधान (item No 11) किया गया था।परन्तु वर्ष 15–16 मे नगर पंचायत द्वारा इस कार्य हेतु एक अभिकर्त्ता को रु 351080 का भुगतान किया गया ।

लेखा–परीक्षा टिप्पणी

1 श्री राय द्वारा प्रतिवेदित रु 566600 के सामग्री के बाढ मे बह जाने /चोरी हो जाने के मामले मे कार्यालय द्वारा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

2. कार्यालय भवन निर्माण में कुल 69.94 लाख रू व्यय किया जा चुका था, विवरण निम्न हैः–

1	श्री राय के माध्यम से	2108206
2	संवेदक के माध्यम से	4534799
3	दरवाजा खिडकी मद मे	351080
कुल		6994085

इस प्रकार रु 50 लाख के पुनरीक्षित प्राक्कलन से भी रु 1994085 का अधिक व्यय किया जा चुका था।

विभाग के पत्रांक 366 दिनांक 21/01/10 के अनुसार योजना की स्वीकृति एवं आवंटन के पश्चात स्थानीय स्तर पर विलम्ब के कारण मूल्य वृद्धि हुई है तो वैसी स्थिति में बढी हुई अंतर राषि जिम्मेवार पदाधिकारी से वसुल की जानी है। परंतु इस संबंध मे नगर पंचायत द्वारा कार्रवाई किया गया या नहीं, से अकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

3 श्री राय को प्रदान किए गये रु 2515000 के अग्रिम का समायेाजन नहीं किया गया था।

4 श्री राय द्वारा कराये गये कार्य की अंतिम मापी की गयी थी अथवा नहीं, इससे अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

5 संवेदक को बी0ओ0क्यू0 से रु 138419 का अधिक भुगतान किया गया था।

6 .जब बी0ओ0क्यू0 में रु 327807 का प्रावधान खिडकी/दरवाजा हेतु किया गया था, जिसके अनुसार भुगतान भी किया गया था, परंतु अलग से उस मद मे रु 351080 का व्यय वर्ष 2015–16 में किया गया, जिसकी जॉच कराई जाय।

172/139

कार्यालय का जवाबः–

दर्ज आपतियों पर कार्रवाई की जायेगी तथा अग्रिम/अधिक भुगतान की गई राशि का समायोजन किया जायेगा।

लेखापरीक्षा निष्कर्षः– अतः पुनरीक्षित प्राक्कलन से अधिक व्यय की गई राशि 1994085.00 रू जिम्मेवार व्यक्ति से वसूलनीय है। अग्रिम का समायोजन/वसूली किया जाय।

कण्डिकाः– 12 जलापूर्ति योजना के कियान्वयन में अनियमितताएँ

वित्तीय वर्ष 2012–13 में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांकः– SPUR-PMU/108/ROB-ULBs/2012/70 दिनांक–11.04.12 के तहत स्पर कार्यकम के अन्तर्गत कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार/नवनिर्मित कार्यालय भवन के शेष कार्य/फर्नीचर इत्यादि के लिए 3.50 करोड़ रू का आवंटन नगर पंचायत–वीरपुर को दिया गया, जिसमें से Renovation and rehabilitation of water supply scheme including Water treatment plant के लिए 1.10 करोड़ रू की राशि कर्णांकित की गई। परंतु कार्यालय द्वारा इस योजना को तीन भाग में विभक्त कर कार्यान्वित किया गया तथा इन तीनों के लिए दिनांक–26.12.13 को खोले गये निविदा में एक ही संवेदक श्री राजेश कुमार सिंह सफल हुए तथा इन्हें कार्य आवंटित किया गया। विवरण निम्न हैः–

कम संख्या	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (रू में)	सफल संवेदक का नाम	कार्यादेश की तिथि	कार्य पूर्णता की तिथि (मापी पुस्त. के अनुसार)
1	पी एच ई डी टंकी में आयरण रिमूभल प्लांट लगाने का कार्य	3741100	श्री राजेश कुमार सिंह	20.02.14	22.12.14
2	पानी आपूर्ति हेतु नये पाईप लाईन बिछाने एवं गाड़ने का कार्य	3736600	तथैव	तथैव	12.08.15
3	पानी आपूर्ति हेतु पुराने पाईप लाईन का मरम्मति कार्य	3412400	तथैव	तथैव	22.08.15
कुल		10890100			

लेखा परीक्षा आपत्तियाँः–

1. उपर्युक्त तीनों योजनाएँ विशेष कर कम संख्या–2 एवं 3 एक ही प्रकृति के थे। लेकिन कार्यपालक अभियंता से उच्चतर प्राधिकारी से निविदा निष्पादन से बचने हेतु योजना को तीन भाग में विभक्त कर 1.09 करोड़ रू की योजना को कार्यान्वित किया गया।
2. योजना संख्या–1 में तीन निविदादाताओं ने निविदा डाला, जिसमें से दो निविदा समान दर पर दिया गया तथा एक निविदादाता के द्वारा श्रम अनुज्ञप्ति नहीं दिये जाने के कारण इन्हें अयोग्य करार दिया गया। योजना संख्या–2 व 3 में दो निविदादाताओं द्वारा निविदा डाला गया, जिसमें से एक निविदादाता द्वारा अग्रधन की राशि जमा नहीं करने के कारण इन्हें अयोग्य करार दिया गया। इस प्रकार इन

138(7)

योजनाओं में न्यूनतम तीन निविदा का शर्त पूरा नहीं हुआ तथा योजना संख्या– 2 व 3 में एकल निविदा पर इन योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया।

3. जल की आपूर्ति बहाल की गई या नहीं से संबंधित कोई प्रतिवेदन संचिका में नहीं पाया गया एवं यदि आपूर्ति बहाल की गई हो तो जल कर अधिरोपण नहीं करने के कारण से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
4. दिनांक 26.12.13 को निविदा कार्य संपन्न हुआ परंतु कार्यादेश निर्गत नहीं किया गया क्योंकि कार्यालय पत्रांक– 105 दिनांक– 12.02.14 के अनुसार निविदा निष्पादन में निम्न दिक्कतें आ रही थी, जिसके निराकरण हेतु कार्यालय द्वारा डूडा, सुपौल तथा नगर पंचायत के सहायक व कनीय अभियंताओं से निम्न सूचनाओं की मांग की गईः–

1. पी एच ई डी से जल सप्लाई हेतु विस्तृत जानकारी ली गई है अथवा नहीं।
2. शहर मे फैले विस्तृत पुराने नष्ट हुए नल पाईपों का विवरणी पी एच ई डी से लिया गया है अथवा नहीं।
3. नये नल पाईप से कितनी आबादी लाभान्वित होगी।
4. नये नल पाईपों को किन–किन वार्डों में लगाये जाने की योजना है।
5. संबंधित कार्य का पर्यवेक्षण पी एच ई डी के अभियंता से कराना आवश्यक है या नहीं।

कनीय अभियंता, न0 पं0 वीरपुर द्वारा जवाब दिया गया कि :–

1. पी एच ई डी के कनीय अभियंता के उपस्थिति में ही जल सप्लाई हेतु विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के उपरांत प्राक्कलन तैयार करवाया गया है
2. पाईपों में जल छोडने के उपरांत ही पता चलेगा कि कौन से पाईप क्षतिग्रस्त है।
3. पाईप लाईन बिछाने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी आबादी लाभान्वित होगी।
4. विभाग के विचारोपरांत ही निर्णय लिया जायेगा कि नये पाईप लाईन को कहाॅ गाड़ना है ?
5. कार्यालय के आदेश में ही पी एच ई डी के के कनीय अभियंता से कार्य का पर्यवेक्षण कराने एवं प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया गया था।

उपर्युक्त जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा विस्तृत सर्वे किये बिना ही प्राक्कलन तैयार कराया गया तथा निविदा का कार्य भी संपन्न कर लिया गया क्योंकि कार्यालय को यह पता ही नहीं है कि कहाॅ नये पाईप लाईन को गाड़ना है तथा कहाॅ– कहाॅ पुराना पाईप लाईन क्षतिग्रस्त है एवं कितनी आबादी इससे लाभान्वित होगी। उल्लेखनीय है कि ये विसंगतियां ठेकेदार को दिनांक–20.02.14 को कार्यादेश निर्गत करने के बाद भी विद्यमान थी जिसे ठेकेदार द्वारा दिनांक– 10.11.14 को आवेदन दिया गया कि योजना संख्या– 2 में किन स्थानों पर कार्य कराना है, उसकी सूची नहीं दी गई है।

5 इन योजनाओं को कार्यादेश के अनुसार तीन माह अर्थात 20.05.14 तक पूर्ण हो जाना था, परुंत उपरोक्त विसंगतियों के कारण कार्य को पूर्ण होने में 7 माह से 15 माह तक विलंब हुआ।

कार्यालय का जवाबः– भौगोलिक स्थिति के कारण तीन अलग– अलग प्राक्कलन तैयार कर बोर्ड के बैठक में रखा गया। बोर्ड के निर्णयानुसार योजनाओं का कियान्वयन कराया गया। पानी की आपूर्ति की गई है। जल कर अधिरोपण किया जायेगा।

अतः भविष्य में एक हीं प्रकृति की योजनाओं को विभक्त कर कियान्वयन कराने से बचा जाए एवं पी0 एच0 ई0 डी0 से नगर पंचायत द्वारा कियान्वित जलापूर्ति की योजना पर सहमति प्राप्त कर ली जाय एवं अन्य संबंधित आपतियों का विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

170
137

कण्डिका:–13

योजना सं0–16/15–16, ईदगाह से मदरसा चॉक तक सड़क निर्माण

प्राक्कलित राशि– 2,56,100.00

तकनीकी स्वीकृति– 22.07.15

कार्यादेश–22.08.15

अभिकर्ता को भुगतान – 22.08.15 7500

21.09.15 153500

09.05.16 56764

217764

वैट एवं रॉयल्टी की कटौती– 16506

234270

मापीपुस्त में अंतिम राशि/तिथि – 234230, दि0–31.08.15

अभिश्रव का विवरण:–

26.06.15, M/S Bijiya Trading Company	59,800
बालु ढुलाई हस्तलिखित सादा कागज अभिश्रव 7.76 M^3	18,055
स्टोनचिप्स ढुलाई –तथैव–15.53 M^3	35,780
मेटल ढुलाई –तथैव–10.35 M^3	23,845
बालु ढुलाई –तथैव–6.90 M^3	1,141
स्थानीय बालु –तथैव–254.00 M^3	49,677
	188298

मजदूर नामावली

दिनांक अंकित नहीं 45972

कुल= मजदूर नामावली+ अभिश्रव= 45972+ 188298= 234270

लेखा परीक्षा टिप्पणियॉ:–

1. प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि दर्ज नहीं थी।
2. मजदूर नामावली पर किस तिथि से कब तक मजदुरों ने कार्य किया था, अंकित नहीं था।
3. अभिलेख(M.R.)/मापीपुस्त के अनुसार 1 प्रतिशत लेबर सेस (234230 का 1%) 2342 की कटौती नहीं की गयी थी।
4. प्राक्कलन में Contractor Profit 10% नहीं घटाया था।
5. प्राक्कलन तथा मापीपुस्त में ढुलाई का प्राक्कलन नहीं किया गया था जबकि संचिका में सामग्री ढुलाई का अभिश्रव संलग्न था।
6. अभिश्रव के अनुसार सामग्री का क्रय तकनीकी स्वीकृति तथा कार्यदेश के पूर्व ही किया जा चुका था।

कार्यालय का जवाब:– आपति के आलोक में जॉच के उपरांत कार्रवाई की जायेगी।

H36/29

अतः उपर्युक्त आपतियों का निराकरण किये जाने तक योजना पर व्यय राशि 234270.00 रू को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कण्डिका:—14

योजना सं0—08/14—15, कार्यालय भवन का चार दिवारी का निर्माण।

प्राक्कलित राशि— 123500.00

तकनीकी स्वीकृति— 14.07.14

कार्यादेश—167, दिनांक—04.06.15 कार्यपालक पदाधिकारी

मापीपुस्त में अंतिम मापी/तिथि – 112255, दि0—20.06.15

अभिकर्ता को भुगतान –	18.06.15	7500
	11.07.15	98853
		106353
वैट एवं रॉयल्टी की कटौती—		5902
		112255

अभिश्रव का विवरण:—

R.C.S. Bricks Industry, 25.06.15, 7894 Nos	39,140
Carries of bricks gLrfyf[kr dkxt	4,613
Chips, M/S Bijiya Trading Company 28.06.15, 1.48 M³	751
Carriage of chips. 1.48 M³, 28.06.15	3,410
M/S Bijiya Trading Company , 28.06,15 Sand per M³	2,729
Carriage of Sand per M³	25,594
Cement 63 Bag, 28.06.15	20,538
Snow bean, 02.07.15 20 kg	966
	97,741

मजदुर नामावली

दिनांक अंकित नहीं

—वही—	5020
—वही—	2510
—वही—	948
	8648

कुल मजदुर नामावली+ अभिश्रव= 97741+ 17126=114867

लेखा परीक्षा टिप्पणयॉ:—

1. मापीपुस्त के अनुसार कार्य 20.06.15 को पूर्ण कर लिया गया था किन्तु अभिश्रव के तिथि के अनुसार 28.06.15 को चिप्स, बालु का क्रय/ढुलाई किया गया था। अतः सामग्री का क्रय/प्रयोग योजना में संदिग्ध प्रतीत होता है।
2. मजदूर नामावली में मजदूरों की उपस्थिति तिथि दर्ज नहीं थी।
3. 1 प्रतिशत श्रम सेस ₹ 1122.00 (112255 X 1%) की कटौती नहीं की गयी थी।
4. वैट एवं रॉयल्टी कटौती की राशि ₹ 3902 का जमा सरकार के राजस्व शीर्ष में दिखाया जाय।
5. संचिका में संलग्न कागजात से प्रशासनिक तिथि स्पष्ट नहीं हो पाया था।

6. मापीपुस्त तथा प्राक्कलन में ढुलाई का ब्रेक–अप दर्ज नहीं था जबकि संचिका में अभिश्रव संलग्न था।
7. कॉन्ट्रेक्टर प्रॉफीट प्राक्कलन में नहीं घटाया गया था।
कार्यालय का जवाबः– आपति के आलोक में जॉच के उपरांत कार्रवाई की जायेगी।

अतः उपर्युक्त आपत्तियों का निराकरण किये जाने तक योजना पर व्यय राशि 112255.00 रू को आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

भाग–III

टिप्पणीः– 01 लेखापाल रोकड़ बही में त्रुटियॉ

1. रोकड़ बही में दिनांक 31.03.16 को दर्ज अंतशेष की राशि 27693185.00 रू था, जबकि गणना करने के उपरांत वास्तविक अंतशेष 27107605.61 रू होगा, अर्थात अंतशेष की राशि को 585570.30 से अधिक कर दिया गया था। यह त्रुटि प्रारंभिक शेष के रूप में दिनांक 01.04.15 को 502844.00 रू एवं दिनांक 30.04.15 को 82726.30 रू अधिक दर्ज करने के कारण था।

   रोकड़ बही में दिनांक 31.03.16 को दर्ज अंतशेष की राशिः–27693185.61
   (–)502844.00
   (–)82726.30

   वास्तविक अंतशेष की राशि दिनांक 31.03.16 को = 27107615.61

   एक ही रोकड़बही में कई मदों यथा योजनाएँ, स्वयं स्रोत, अन्य मद आदि से प्राप्त आय का लेखांकन किया गया था, तथा विभिन्न योजनाओं/गैर योजनाओं मद में व्यय किया गया था। सभी मदों का सहायक रोकड़बही संधारित नहीं किया गया था।
2. रोकड़बही के व्यय पक्ष में व्यय का शीर्ष दर्ज नहीं किया गया था।
3. वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं व्यय का सार तैयार नहीं किया गया था।
4. रोकड़बही में अधिकांश व्यय के बारे में यह स्पष्ट करना मुश्किल था कि किस मद में कितनी राशि व्यय की गई एवं कितनी राशि अव्यवहृत पड़ी थी तथा प्राप्त राशि जिस मद एवं जिस उद्देश्य के लिए अनुदान के रूप प्राप्त हुई थी उस उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं।

कार्यालय का जवाबः– रोकड़ बही में दर्ज अंतशेष की राशि को सुधार कर लिया जायेगा एवं अन्य आवश्यक त्रुटियों को सुधार कर लिया जायेगा।

अतः इंगित त्रटियों को सुधार कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

टिप्पणीः–2 रोकड़बही/पासबुक में कमियाँ

रोकड़बही एवं पासबुक के जाँच के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः–

187
134

1	कोषागार पासबुक		
a	Ch No. 105755 25.06.14	1,53,767.00	पेमेंट पासबुक में इंद्राज नहीं है।
b	05.09.14	4,32,703	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है
c	Ch No. 73053 06.11.15	रोकड़ बही में 46450.00 है लेकिन पासबुक में 52784 है।	
d	Ch No. 73082 04.02.16	3,15,840.00 का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है।	
2	P.N.B. A/C No.-2489000100078928		
a	Ch No.- 6804 05.02.16	24,000.00 का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है। लेकिन पासबुक है।	
b	Ch No.- 6805 12.02.16	4,56,354.00 का रोकड़ बही में इद्राज नहीं है। लेकिन पासबुक है।	
c	छमाही ब्याज जो बैंक से प्राप्त होते है रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है।		
3	P.N.B. A/C No.-2489000100078928		
a	20.03.14	1,66,525.00	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं हैं।
b	26.07.14	3,09,217.00	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं हैं।
c	16.08.14	40,000.00	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं हैं।
d	18.08.14	33,000.00	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं हैं।
e	18.08.15	99,000.00	Reciept का रोकड़ बही में इंद्राज नहीं है
f	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
4.	P.N.B. A/C No.-2489000100075897		
a	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
5.	C.B.I. A/C No.-2120945328		
a	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
6	S.B.I. A/C No.- 11712632872		
a	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
7	C.B.I. A/C No.-2121022660		
a	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
8	P.N.B. A/C No.-2489000100075903		
a	बैंक से प्राप्त सूद का इंद्राज रोकड़ बही में नहीं है।		
9	S.B.I. A/C No.- 11712588286		
a	01.04.13 – 01.10.13 तक बैंक पासबुक उपलब्ध नही है।		
b	29.01.16 – 31.03.16 तक बैंक पासबुक उपलब्ध नही है।		
10	C.B.I. A/C No.-3143570556		
a	16.07.15 – 31.03.16 का बैंक पासबुक उपलब्ध नहीं है।		

अंकेक्षण टिप्पणी

1. S.B.I. CA A/C No.- 11712588286 तथा C.B.I. CA A/C No.- 3143570556 बैंक पासबुक नहीं उपलब्ध कराया गया।

2. बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था।

3. उपरोक्त कमियों का निराकरण कर अंकेक्षण दल को अवगत करायें।

कार्यालय का जवाबः— उपर्युक्त त्रुटियों को सुधार कर लिया जायेगा।

अतः उपर्युक्त त्रुटियों का निराकारण कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

टिप्पणीः— 03

नगर पंचायत वीरपुर में अग्रिम पंजी का संधारण नही किया गया था। रोकड़पाल के रोकड़बही के जाँच में पाया गया कि कई कर्मचारियों को 2012—13 से 2015—16 के बीच रू0— 13,73,935 अग्रिम दिया गया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट—VIII पर संलग्न)

कार्यालय का जवाबः— कुछ अग्रिमों का समायोजन किया गया है एवं अन्य लंबित अग्रिमों का समायोजन किया जायेगा।

अतः अग्रिम के समायोजन की स्थिति से अगले लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

—हस्ता0—
सुबोध प्रसाद
(स0ले0प0अ0)
—अनुमोदित—
उप महालेखाकार (एस0 एस0 1)
—सह—
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

परिशिष्ट- I

अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की सूची की विवरणी

(प्रतिवेदन के भाग--1 के कंडिका संख्या-- 3 से संदर्भित)

क्रम सं0	अभिलेखों का नाम
1.	लेखापाल रोकड बही व पास बुक
2.	टमिश्रव
3.	योजना अभिलेख
4.	सैरात संचिकाएँ
5..	विविध रसीद व इसका भंडार पंजी
6..	क्रय से संबंधित संचिका (आंषिक)
7.	संचार मीनारों से संबंधित मॉग एवं वसूली विवरणी
8.	भवन करों (होल्डिंग्स टैक्स) का मॉग एवं संग्रहण विवरणी
9.	योजनाओं से संबंधित विवरणी

(64)
131

परिशिष्ट-II

अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये अभिलेखों की सूची की विवरणी

(प्रतिवेदन के भाग–1 के कंडिका संख्या– 3 से संदर्भित)

क्रम सं0	अभिलेखों का नाम
1.	विज्ञापन का माँग एवं सग्रहण (लेखा) पंजी
3.	ऋण विनियोग पंजी
5.	निबंधित वास्तुविदों की पंजी
6.	चल सम्पतियों से संबंधित पंजी/भंडार लेखा
7.	विधि पंजी
8.	सेवानिवृत/ मृत कर्मियों के दावे के विवरण से संबंधित पंजी
10.	मदवार आय व व्यय का वार्षिक संवरण
12.	प्राप्तियों व व्यय का त्रैमासिक तथा वार्षिक पंजी
13.	जमा पंजी व अग्रिम पंजी
14.	लेखापरीक्षा पंजी
15.	सरकारी प्रतिभूतियों की पंजी
16.	संपत्ति पंजी
17.	किराया पंजी
18.	जमाबंदी पंजी
19.	लीजधारियों की पंजी
22.	ठोस अपषिष्ट प्रबंधन से संबंधित पंजी
23.	ह्रास निधि पंजी (Depreciation fund register)
25.	वाहनों का लॉगबुक तथा संबंधित अभिलेख
27.	दुकान किराया की पंजी एवं एकरारनामा
29.	सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत संचिका
30.	उपयोगिता प्रमाण पत्र
31.	नक्शा पंजी
33.	संधारित किये गये अभिलेखो की सूची
34	बजट

परिशिष्ट-- III

लेखा परीक्षा परिणाम

प्रतिवेदन के भाग— I कंडिका सं. 9 से संदर्भित

क्र.सं.	कंडिका सं. (II ख)	अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि	वसूली हेतु सुझाई गयी राशि	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि
1	1			1774725
2	2		326929	
3	3		113019	
4	7		108915	
5	9			1094852
6	11		1994085	
7	13			234270
8	14			112255
	कुल		2542948	3216102

परिशिष्ट– IV
नगर पंचायत को प्राप्त अनुदान का विवरण
(प्रतिवेदन के भाग–1 के कंडिका संख्या– 10 से संदर्भित)

वर्ष 2013–14

प्राप्ति तिथि	विवरण	पत्रांक / दिनांक	राशि
10.05.13	तेरहवीं वित आयोग	–	980889
			191000
31.07.13	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	–	702879
08.08.13	तेरहवीं वित आयोग	12 / 19.07.13	1102933
18.09.13	कबीर अंत्येष्टि		18000
			16500
24.10.13	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	दर्ज नहीं	938314
06.12.13	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	–	15890
09.12.13	कबीर अंत्येष्टि	–	112500
			226500
19.12.13	पारिवरिक लाभ	–	5000
08.01.14	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	–	248904
30.01.14	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	–	1195848
			26928
05.03.14	पथ निर्माण हेतु	–	1973913
			1326087
14.03.14	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	–	295267
20.03.14	पेशा कर मद में प्राप्त आवंटन	42 / 26.09.13	343883
21.03.14	चतुर्थ राज्य वित आयोग	102 / 15.03.14	7201162
		कुल	**16922397**
	2014–15		
27.05.14	तेरहवीं वित आयोग	–	1057847
30.08.14	पेशा कर	14 / 16.06.14	432703
19.08.14	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	–	175221
19.08.14	तेरहवीं वित आयोग	–	1057847
27.09.14	कबीर अंत्येष्टि	507 / 22.09.14	138000
			48000
17.10.14	तेरहवीं वित आयोग	–	1083131
10.11.14	पारिवारिक लाभ	391 / 31.07.14	20000
			110000
			10000
17.11.14	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	–	480120
29.12.14	प्रतिनिधि भता	–	130800
02.12.14	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	–	72500
13.01.15	ई गवर्नेंस योजना के तहत तीन टेवलेट क्रय हेतु	98 / 09.01.15	150000
18.02.15	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	–	858400
16.03.15	ई गवर्नेंस योजना के तहत महिला वार्ड पार्षदों के लिए	–	150000

	लैपटॉप क्रय हेतु		
20.03.15	पार्षद भत्ता	–	64500
20.03.15	चतुर्थ राज्य वित आयोग 2014–15 के प्रथम किस्त की राषि	159 / 20.03.15	2164932
			927829
			362019
			1000000
26.03.15	चतुर्थ राज्य वित आयोग 2014–15 के द्वितीय किस्त की राषि	164 / 25.03.15	2137264
			915967
			362019
			1000000
27.03.15	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	–	203000
		कुल	15112099
	2015–16		
11.04.15	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	--	726875
			16334
20.04.15	कबीर अंत्येष्टि	--	555000
21.04.15	सहायक निदेषक, पटना से प्राप्त (अनुदान का विवरण दर्ज नहीं)	--	222000
20.07.15	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	---	955900
22.07.15	तेरहवीं वित आयोग	--	1278638
27.07.15	तेरहवीं वित आयोग	--	315585
14.08.15	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	---	163800
18.08.15	कबीर अंत्येष्टि	---	132000
24.08.15	तेरहवीं वित आयोग	--	2525113
18.09.15	पेशाकर मद में प्राप्त आवंटन	--	535658
18.09.15	नागरिक सुविधा मद में सफाई व्यवस्था सुधारने हेतु प्राप्त आवंटन प्रथम किस्त	--	2494200
29.12.15	पार्षद भत्ता	--	137932
29.12.15	चौदहवें वित आयोग	72 / 17.12.15	2475713
23.02.16	स्वच्छ भारत निर्माण योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु	--	3600000
21.03.16	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	--	228600
			813000
30.03.16	पंचम राज्य वित आयोग	124 / 21.03.16	4663221
			720106
			3405669
31.03.16	मुख्यमंत्री षहरी पेयजल निष्चय योजना	--	654512
			1945572
31.03.16	नागरिक सुविधा मद में सफाई व्यवस्था सुधारने हेतु प्राप्त आवंटन द्वितीय किस्त	131 / 29.03.16	831400
		कुल	29396828
		कुल योग	**61431324**

परिशिष्ट–V

तेरहवीं वित्त आयोग के दिषा निर्देष के विपरीत अनुदान राषि के व्यय का विवरणी

(प्रतिवेदन की भाग–2 क के कंडिका संख्या– 2 से संदर्भित)

क्र० सं०	सामग्री का नाम	मात्रा	दर प्रति अदद	क्रय मूल्य	लागू वैट का दर एवं राशि	वैट कटौती दर एवं राशि	कम कटौती	लागू आयकर दर एवं राशि	आयकर कटौति दर एवं राशि	कम कटौति	लागु परफार्मेंश सिक्युरिटी दर एवं राशि	कटौति परफार्मेंश सिक्युरिटी दर एवं राशि	कम कटौती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	सी०एफ०एल० बल्ब	390	3,500	1,365,000	184275 (13.5%)	6850	116025	13650 (1%)	13650 (1%)	——	136500	——	136500
02	कन्टेनर (Iron Body)	20	57,400	1,148,000	154980 (13.5%)	54666 (5%)	100314	22960 (2%)	——	22960	114800 (10%)	21867 (2.1%)	92933
03	हैंड ट्राली	20	16,800	336,000	45360 (13.5%)	16800 (5%)	28560	3360 (1%)	3360 (1%)	——	33600 (10%)	——	33600
04	लैपटॉप	11	28,800	316,800	42768 (13.5%)	——	42768	6336 (2%)	6034 (1.9%)	302	31680	——	31680
					427383	139716	287667	46306	23044	23262	316580	21867	294713

परिशिष्ट--VI

नहीं/कम जमा

(प्रतिवेदन के भाग–2 क के कंडिका संख्या– 3 से संदर्भित)

क्र0	रसीद सं0	वसूली गई राशि/अवधि	जमा की गई राशि	कम/नहीं जमा की गई राशि	वसूलीकर्त्ता का नाम
1	4001--4075	99,583.00 01.03.16–31.03.16	78,583.00	21,000.00	अनिल कुमार
2	3609--3647	12,526.00 31.12.15–29.01.16	12,515	11.00	मनीष कुमार
3	3670–3699	34,329.00 17.02.16–19.03.16	00	34,329.00	मनीष कुमार
4	901--908	44,181.00 05.03.16--18.03.16	34,150.00	10,031.00	सत्यनारायण चौधरी
5	924--926	4800.00 06.04.16--07.04.16	00	4800.00	सत्यनारायण चौधरी
6	930- 932	2800.00 12.04.16--07.04.16	00	2800.00	सत्यनारायण चौधरी
7	935--936	3000.00 26.04.16	00	3000.00	सत्यनारायण चौधरी
8	501--593	4210.00 15.11.14–23.02.16	3050.00	1260.00	दिपक ऋषिदेव
9	824–832	42043.00 01.10.15–19.10.15	35000.00	7043.00	सत्यनारायण चौधरी
10	4077--4100	28745.00 01.04.16–28.04.16	00	28745.00	अनिल कुमार
			कुल	1,13,019.00	

परिशिष्ट-VII

दैनिक मजदूरी पर भुगतान की गयी राशि को दर्शाती विवरणी

क्रमांक	अभिश्रव सं०	चेक संख्या	दिनांक	राशि	अभ्युक्ति
1	42/13-14	147813	09.05.13	14976	चार दैनिक मजदूरों (सफाई) का माह अप्रिल 13 का भुगतान
2.	60/13-14	—	05.06.13	8640	सफाई मजदूरों का मई 13 का दै० म० विपत्र (नाला सफाई)
3.	61/13-14	—	05.06.13	15552	चार दैनिक सफाई मजदूरों का माह मई 2013 का दैनिक मजदूरी
4.	62/13-14	147825	05.06.13	28080	कम्प्यूटर ऑपरेटर का दैनिक मजदूरी मई 13
5	155/13-14	—	18.06.13	1000	दैनिक रोलर चालक का मजदूरी
6.	159/13-14	147829	18.06.13	720	दैनिक ट्रैक्टर ड्राइवर का मई 13 में 5 दिनों का मजदूरी
7	160/13-14	—	18.06.13	4048	दैनिक फॉगिंग मशीन गाड़ी चालक का माह अक्टूबर 12 से मार्च 13 तक का भुगतान
8	161/13-14	147830	18.06.13	5777	JCB चालक का दै० म० मार्च 13 से जून 13 तक
9	162/13-14	147831	18.06.13	6270	दैनिक चालक टाटा 709 माह अक्टूबर 12 से अप्रील 13 तक
10	231/13-14	147846	4.7.13	3888	दैनिक कम्प्यूटर आपरेटर को दैनिक मजदूरी माह जून 13
11	~~231~~ 232/13-14	147847	4.7.13	28800	आठ सफाई मजदूरों का दै० म० माह जून 13 का भुगतान
12.	244/13-14	—	18.10.13	15552	जुलाई 13 का दैनिक मजदूरी
13.	245/13-14	—	18.10.13	6912	अगस्त 13 दैनिक सफाई मजदूरी
14.	249/13-14	—	18.10.13	15552	चार सफाई मजदूरों का जुलाई 13 का दैनिक मजदूरी
15.	250/13-14	—	18.10.13	15552	का अगस्त 13 चार सफाई मजदूरों का दैनिक मजदूरी
16.	251/13-14	218204	18.10.13	67968	का चार सफाई मजदूरों का सितम्बर 13 का दैनिक मजदूरी
17.	246/13-14	—	18.10.13	3024	दैनिक कम्प्यूटर आपरेटर का माह जुलाई 13 का दै० म०
18.	247/13-14	—	18.10.13	3024	दैनिक कम्प्यूटर आपरेटर का अगस्त 13 का दै० म०
19.	248/13-14	069195	18.10.13	10080	दैनिक कम्प्यूटर आपरेटर का माह सितम्बर 13 का दै० म०
20.	293/13-14	076815	20.11.13	3168	दैनिक कम्प्यूटर आपरेटर का माह अक्टूबर 13 का दै० म०
21	294/13-14	218205	20.11.13	15552	चार दैनिक मजदूर सफाई का दै० म०
22	319/13-14	—	09.12.13	14976	दैनिक सफाई मजदूरों का माह नवम्बर 13 का मजदूरी
23	320/13-14	218212	09.12.13	18288	दैनिक कम्प्यूटर आपरेटर का माह नवम्बर 13
24	319/13-14	~~14976~~	9.12.13	14976	नवम्बर 13 दैनिक सफाई
25	320/13-14	218212	9.12.13	18288	दैनिक कम्प्यूटर आपरेटर माह नवम्बर 2013
				340663	

[signature]

क्रमांक	अभिमुक्त अंक	चेक संख्या	दिनांक	राशि	अभियुक्ति
26	354/13-14	—	6.1.14	17600	4 दै० सफाई मजदूरों का दिसम्बर 13 की मजदूरी
27	355/13-14	218224	6.1.14	22000	दैनिक कार्यालय कर्मी का माह दिसम्बर 13 का भुगतान
28	395/13-14	—	3.2.14	19008	दैनिक सफाई कर्मचारी जनवरी 14
29	406/13-14	218250	12.2.14	23936	जनवरी 14 का दैनिक मजदूरी
30	443/13-14	—	5.3.14	16896	चार दैनिक सफाई मजदूरों का दै० म० विपत्र
31	444/13-14	662310	5.3.14	20768	दैनिक मजदूरी माह फरवरी 14
32	452/13-14	662313	13.3.14	8448	चार दैनिक मजदूरों का बारह दिन का मजदूरी
33	15/14-15	—	7.4.14	4400	कम्प्यूटर ऑपरेटर का माह मार्च 14 का दैनिक मजदूरी
34	16/14-15	080759	7.4.14	41698	चार दैनिक सफाई नाला मजदूरी
35	38/14-15	—	30.4.14	11700	दैनिक सफाई जमादार का माह अप्रैल 14 का मजदूरी
36	39/14-15	—	30.04.14	3696	कम्प्यूटर ऑपरेटर का दैनिक मजदूरी माह अप्रैल 2014
37	41/14-15	080765	30.4.14	5000	JCB चालक का दैनिक मजदूरी अप्रैल 14 का दैनिक मजदूरी
38	41/14-15	080766	30.4.14	5000	टेम्पू चालक का अप्रैल 14 का मजदूरी
39	41/14-15	080767	30.4.14	5000	ट्रैक्टर चालक अनिरुद्ध दैनिक मजदूरी अप्रैल 14
40	41/14-15	080768	30.4.14	5000	JCB चालक मई 14 का दैनिक म०
41	80/14-15	080772	7.6.14	5000	ट्रक चालक का मई 14 दै० म०
42	81/14-15	080773	7.6.14	5000	टेम्पू चालक का माह मई 14 का दैनिक मजदूरी
43	82/14-15	080774	7.6.14	5000	ट्रैक्टर चालक का मई 14 का दै० म०
44	83/14-15	080775	7.6.14	5000	दैनिक सफाई मजदूरों का मई 14
45	85/14-15	—	7.6.14	36432	मई 14 का दै० म०
46	86/14-15	080778	7.6.14	48582	माह जून 14 का दैनिक मजदूरी
47	125/14-15	—	2.7.14	11250	नौ दैनिक मजदूरी माह जून 14
48	126/14-15	—	2.7.14	33088	दैनिक कम्प्यूटर जून 14 मजदूरी
49	127/14-15	080784	2.7.14	48568	दैनिक सफाई जमादार जुलाई 14 का मजदूरी
50	171/14-15	—	2.8.14	12150	आठ सफाई मजदूरों का माह जुलाई 14 का दैनिक मजदूरी
51	172/14-15	—	2.8.14	38016	जुलाई 14 का दै० म० विपत्र
52	173/14-15	080789	2.8.14	54914	आठ सफाई मजदूरों का माह अगस्त 14 दैनिक मजदूरी
53	199/14-15		2.9.14	33264	दो दैनिक सफाई जमादारों का सितम्बर 14 दैनिक मजदूरी
54	245/14-15	—	26.9.14	10350	आठ सफाई कर्मी का माह सितम्बर 14 दैनिक मजदूरी
55	246/14-15	—	26.09.14	32384	
				929811	

56

क्रमांक	अभिश्रव सं०	चेक संख्या	दिनांक	राशि	अभियुक्ति
56	301/14-15	792616	27.10.14	6102	दैनिक सफाई जमादार माह सितम्बर 14 का मजदूरी
57	311/14-15	792621	3.11.14	12150	दो सफाई जमादार का अक्टूबर/14 का दैनिक मजदूरी
58	317/14-15	792626	15.11.14	3696	अक्टूबर 14 का दैनिक मजदूरी
59	29/15-16	—	4.6.15	27261	तेरह दैनिक मजदूरों मई 15 का दैनिक मजदूरी
60	128/15-16	—	03.8.15	6750	दैनिक मजदूरी मई 15
61	129/15-16	–	03.8.15	3666	दो सफाई जमादार मई 15
62	130/15-16	–	03.8.15	5000	जुलाई 15 दैनिक मजदूरी
63	131/15-16	080832	03.8.15	100416	सोलह मजदूरों का दैनिक मजदूरी
				1094852	
64					

[signature]

[initials]

5121202 VIII

अग्रिम पंजी विवरणी

क्रम	वाउचर संख्या	दिनांक	अग्रिम राशि	अग्रिम प्राप्तकर्ता	अभियुक्ति
	145/13-14	08.06.13	1326	वीरेन्द्र नाथ झा, सहायक	शहर सफाई
	224/13-14	11.12.13	10000	अरविन्द कु० सिंह, अभियन्ता	रजिस्टर कार्य हेतु
	328/13-14	11.12.13	10000	— तदैव —	— तदैव —
	1158/13-14	13.02.14	25000	सुधीर कु० सिंह, प्रभारी	इंडियाना
	180/14-15	04.8.14	85200	सुधीर कु० सिंह प्रभारी	स्वच्छता अभियान
	[illegible]/14-15	7.8.14	41000	तदैव	
	183/14-15	8.8.14	15000	तदैव	15 अगस्त 2014
	[illegible]/15-16	18.6.15	3000	नगरपालिका प्रशासन	ट्रेलर हेतु
	38/15-16	18.6.15	49900	तदैव	तदैव
	40/15-16	18.6.15	19000	तदैव	तदैव
11	41/15-16	18.6.15	2200	तदैव	तदैव
	42/15-16	18.6.15	49000	तदैव	ट्रेलर हेतु
	62/15-16	22.6.15	2309		
14	117/15-16	14.7.15	10000		
15	119/15-16	21.7.15	293000	सुधीर कु० सिंह, प्रभारी	
	121/15-16	22.7.15	426000	तदैव	तदैव
	123/15-16	23.7.15	367000	तदैव	तदैव
18	138/15-16	13.8.15	15000	अरुण कु० राम	15 अगस्त 15
			1373935		